



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256563
CG-DL-E-22082024-256563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3225]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3225]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3541(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 अमरपुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 62 गोलेलाव नागौर बाईपास के निर्माण कार्य के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 अमरपुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 62 गोलेलाव नागौर बाईपास के निर्माण कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण हेतु।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7						
1	उपखण्ड अधिकारी, नागौर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH62 के कि.मी 0 से कि.मी 18.059 तक	राजस्थान	नागौर	नागौर	<table><tr><td>1</td><td>कृष्णपुरा</td></tr><tr><td>2</td><td>चक घिसनियाडेर</td></tr><tr><td>3</td><td>चूंटीसरा</td></tr></table>	1	कृष्णपुरा	2	चक घिसनियाडेर	3	चूंटीसरा
1	कृष्णपुरा											
2	चक घिसनियाडेर											
3	चूंटीसरा											

						4	जबरासी
						5	भदाणा
						6	मालगांव
						7	अमरपुरा
						8	गुडला
						9	सलेऊ
						10	सारणवास
						11	मदफरास
						12	बालवा
						13	गोगेलाव
						14	फागली
						15	सालवा
						16	नागौर

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/02]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3541(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of new circular Bypass for Nagaur District from existing (Amarpura at New NH-58) to (Gogelao on NH-62) on EPC Mode in the State of RAJASTHAN.

SCHEDULE

Land acquisition of construction of new circular Bypass for Nagaur District from existing (Amarpura at New NH-58) to (Gogelao on NH-62) on EPC Mode in the State of Rajasthan.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Sub Divisional Magistrate, Nagaur	NH62 KM 0 TO KM 18.059	RAJASTHAN	NAGAU	Nagaur	1	Krishanpura
						2	Chak Ghishniyader
						3	Chuntisara
						4	Jabrasi
						5	Bhadana
						6	Malgaon
						7	Amarpura
						8	Gurla

						9	Saleu
						10	Saranwas
						11	Madpharas
						12	Balwa
						13	Gogelao
						14	Phagali
						15	Salwa
						16	Nagaur

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/02]

ABHAY JAIN, Director